



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार— 249404

पत्रांक ::166(ii)/69/04/डी0आर0(मु0अ0अधि0)/सेवा-01/2018-19

दिनांक : 04 जनवरी, 2022

मुख्य अग्निशमन अधिकारी पद के सापेक्ष अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन निस्तारण की सूचना

उत्तराखण्ड शासन के अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग के अन्तर्गत मुख्य अग्निशमन अधिकारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या: A-1/S-1/2021 दिनांक 15 फरवरी, 2021 के सापेक्ष निर्धारित अंतिम तिथि 08 मार्च, 2021 तक ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं आवेदन पत्र में किये गये दावों के सापेक्ष समस्त अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति दिनांक 23 मार्च, 2021 तक आयोग कार्यालय में प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद के सापेक्ष आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं उपलब्ध कराये गये प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों की सन्निरीक्षा के उपरान्त मा0 आयोग द्वारा कतिपय अभ्यर्थियों को आयोग कार्यालय के पत्रांक संख्या 63/69/04/डी0आर0(मु0अ0अधि0)/सेवा-01/2018-19 दिनांक 27 अगस्त, 2021 द्वारा अनर्ह घोषित करते हुए अपनी अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/अभिलेख दिनांक 17 सितम्बर, 2021 तक आयोग कार्यालय में प्रेषित किये जाने हेतु सूचित किया गया था। अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों में से उक्त निर्धारित अंतिम तिथि तक अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रेषित करने वाले अभ्यर्थियों का प्रत्यावेदन मा0 आयोग द्वारा निम्नवत निस्तारित किया गया है—

श्रेणी-1— ऐसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन की शर्तानुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अथवा समकक्ष शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करने के कारण अनर्ह घोषित किये गये थे—

क्र० सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	अभ्यर्थी का नाम	निस्तारण आदेश
1	CFO200174	PUSHKAR SINGH	मा0 आयोग की बैठक दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 में लिये गये निर्णय के आलोक में विज्ञापन की शर्तानुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अनर्ह।
2	CFO200301	VISHAL HARIT	मा0 आयोग की बैठक दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 में लिये गये निर्णय के आलोक में विज्ञापन की शर्तानुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अनर्ह।
3	CFO200361	PARVESH KUMAR	मा0 आयोग की बैठक दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 में लिये गये निर्णय के आलोक में विज्ञापन की शर्तानुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अनर्ह।

श्रेणी-2— ऐसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन की शर्तानुसार निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट समस्त संलग्नकों सहित आयोग कार्यालय में जमा नहीं करने के कारण अनर्ह घोषित किये गये थे—

क्र० सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	अभ्यर्थी का नाम	निस्तारण आदेश
1	CFO200019	SHUBHAM JOSHI	अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट एवं समस्त संलग्न आयोग कार्यालय में जमा न करने के कारण मा0 आयोग के अनर्ह घोषित किये जाने संबंधी पूर्व निर्णय दिनांक 05.08.2021 को यथावत रखा गया है।

